Court of Sub-Judge Dhandaulipur
T.S.- 189/2014
Md Mohsin & others vs Bobby & others

28.8.2019 अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पूर्व से दिनांक 18.3.17 के प्रतिस्थापित आवेदन साथ में, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं सेटिंग असाइड एबेटमेंट के आवेदनों का साथ लम्बित चला आ रहा है।

वादी की ओर से दाखिल आवेदन अंदर आदेश 22, नियम सि.प्र. सं. दिनांक 18.3.17 में यह कथन किया गया है कि वादी ने यह वाद विवादी भूमि के निरन्तर स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे की संपुष्टि साथ के T.S 332/19 में पारित निर्णय एवं डिक्री को निष्प्रभावी एवं कपटपूर्ण होने के कारण वादी पर बाध्यकारी नहीं होने के लिए लाया है।

यह कि वादी सं. 3 इफ्तखार आलम की मृत्यु 8.7.16 को हो चुकी है वह अपने पीछे वारिसानों को छोड़ गया है। यह कि न्याय हित में वादी सं० 3 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर उसके वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है।

यह कि इसी तरीके से वादी सं० 1 मो० मोहसिन की मृत्यु दिनांक 08/11/2016 को अपने गांव में हो चुकी है तथा वह अपने पीछे वारिसानों को छोड़कर मरा है। अतः न्यायहित में वादी सं० 1 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर उसके वारिसानों प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है।

लगातार

Court of Sub-judge, Dhamdaha, Purnea
T.S - 189/2014
Md Nasim & others vs Bablu & others

लगातार: 28.8.19

अपने आवेदन में वादी की ओर से यह भी कथन किया गया है कि वादी सं0 1, मो0 नसीम अपने वाद को देखभाल करता था और अन्य वादीगण को वाद की ज्यादे जानकारी नहीं थी। वादीगण के वारिसानों ने अधिवक्ता से संपर्क कर उक्त दोनों वादियों के मृत्यु की जानकारी दिया और इसी कारण आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत नहीं लाया जा सका। वादी सं0 1 गंभीर बिमारी की वजह से दिनांक 8.11.2016 को गुजर गया था। आवेदन लाने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है।

वादी की ओर से, उक्त आवेदन के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं सेटिंग असाइड अबेटमेंट का आवेदन भी लाया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 28.8.17 को प्रस्तुत दाखिलका निवेदन किया गया है कि वादी ने आवेदन वादीगण के मृत्यु के क्रमशः 4 महीना एवं 10 महीना के विलम्ब से लाया है। लिमिटेशन एक्ट के तहत आवेदन की समय सीमा मात्र 90 दिन था जो 60 अतिरिक्त दिन बढ़ाया जा सकता है। 90 दिनों की सीमा के पश्चात अबेटमेंट स्वतः हो जाता है। चूँकि वादी ने अपने आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया है जिससे उसका आवेदन खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद कुल छः वादियों की ओर से दाखिल की गई है और न्यायालय से यह प्रार्थना किया है

cont...

Court of Subjudge [illegible]

T.S. 189/2014

Smt Nasim & others vs Babloo & others

लगातार 28.8.19 कि वादीगण अनुसूची 'अ' की भूमि पर दखलकार है। विवादी भूमि, वादी एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को, 2.10.1962 ई० के रजिस्टर्ड बँटवारा से हासिल है। अन्य प्रतिवादियों को विवादी भूमि से कोई सरोकार नहीं है अतः वादीगण के पक्ष में विवादी भूमि के स्वत्व एवं दखल कब्जे की घोषणा की जाय। इसके अलावे T. 332/96 में पारित निर्णय एवं डिक्री को कपटपूर्ण एवं धोखे से किया गया होने के कारण उक्त वादीगण के प्रति निष्प्रभावी घोषित किया जाय तथा अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित किया जाय।

अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन कुछ विलम्ब से लाया गया है परन्तु यह मौ विचार में लंबित नहीं है। इसके प्रति, वादी की ओर से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट सहित, सेटिंग अरसाइड अबेटमेंट आदेश 22 नियम 9 (2) सि.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन दाखिल की गई है। पूर्व में वाद के स्वतः अबेट करने का संज्ञान/आदेश नहीं किया गया है। मृत वादियों के अतिरिक्त भी छः वादीगण वाद में है और उनकी ओर से पैरवी की जा रही है स्वत्व वाद होने के कारण उनके प्रति वाद का हेतु विद्यमान है। अतः न्यायहित में, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं सेटिंग अरसाइड अबेटमेंट का आवेदन स्वीकार करते हुए, वादी को मृतक वादियों के कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश देना न्यायोचित प्रतीत होता है।

A.I.R. 2001 SC के रिटर्न के, प्रतिवादी की ओर से दाखिल न्याय निर्णय आलोक में यह प्रतीत होता है कि 90 दिनों के अन्दर प्रतिस्थापन आवेदन नहीं

cont:..

Court of Sub Judge Dhanbad, Arra

T. S. 189/2014

Md Nasim & others vs Babloo & others

लगातार 28.8.17 — यही कारण पर उक्त मृतक वादी के प्रति वाद स्वतः अबेट कर जाता है। परन्तु उसके निदान के लिए वादी की ओर से आदेश 22 नियम 9 (2) के अन्तर्गत आवेदन लाया गया है। वादी की ओर से यह कहा गया है कि मृतक वादी मो० नसीम ही वाद में पैरवी एवं देखरेख करता था, उसकी गंभीर बिमारी से मृत्यु के बाद करीब 4 महीने के विलम्ब से प्रतिस्थापन आवेदन लाया गया है;

वादी की ओर से दाखिल 1998 SAR SC 739 एवं 2010 PLJR (3), 126 स्वामी प्र० मौर्य बनाम लखन सिंह में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि Court should take lenient view while considering applications for condoning delay and setting aside abatement.

अतः उक्त विवेचना से एवं वाद की सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार करते हुए, वादी की ओर से दाखिल दोनों आवेदनों को स्वीकार करते हुए, मृतक वादी के वारिसानों का नाम वादी स्थान में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक 19/09/19 वास्ते यथाआदेश प्रतिस्थापन करें।

Prashant Kumar Jha.
Sub Judge.

Scanned by CamScanner